



2026:AHC-LKO:22601

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा

482 के अंतर्गत संख्या - 532/2026

अमित द्विवेदी और अन्य

.....आवेदनकर्ता (गण)

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/एसीबी, पुलिस अधीक्षक,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/एसीबी लखनऊ के माध्यम से

... विरोधी पक्ष (गण)

आवेदनकर्ता (गण) के अधिवक्ता : पुष्कर सिंह, ए.के. त्रिवेदी

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : अनुराग कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंबरीश वी जानी और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदकर्ता मुकदमा/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- आरसी 0062025A0026 में अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं। यह वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के सपठित धारा 409, 420, 468, 471; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) सपठित धारा 316, 318, 336, 340; और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(ए) के अंतर्गत एसीबी लखनऊ थाने में दर्ज किया गया है।

3. उपरोक्त वाद दिनांक 07.10.2025 को दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट भारत सरकार के अवर सचिव, सतर्कता प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 21.07.2025 के एक पत्र और सीजीएचएस निदेशालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है। यह जांच मेसर्स रजनी अस्पताल और मेसर्स टॉरस अस्पताल द्वारा किए गए फर्जी दावों के वाद से संबंधित है।

4. उक्त जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि मेसर्स रजनी अस्पताल, कानपुर में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है, फिर भी अस्पताल लगातार उच्च मूल्य राशि के दावे प्रस्तुत करता रहा, जिन्हें बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के ही संसाधित करके भुगतान कर दिया गया। मेसर्स रजनी अस्पताल कानपुर ने कुल 39.34 करोड़ रुपये का दावा किया है, जिसमें से जून 2021 से अब तक सीजीएचएस, कानपुर द्वारा 27 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।



5. मेसर्स टॉरस अस्पताल का स्वामित्व मेसर्स रजनी अस्पताल के मालिकों द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद, उन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान अलग-अलग सीजीएचएस लाभार्थियों के चिकित्सा दावों के संबंध में 1,24,43,538/- रुपये का दावा किया है।

6. कई लाभार्थियों ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी मेसर्स रजनी अस्पताल, कानपुर या मेसर्स टॉरस अस्पताल में भर्ती हुए थे। अस्पताल निगरानी समिति को 25 सीजीएचएस लाभार्थियों के फर्जी दावे मिले, जिन्होंने अस्पतालों में भर्ती होने से इनकार किया था; जबकि उन्हें मेसर्स रजनी अस्पताल में 66 बार भर्ती दिखाया गया था और इन 25 सीजीएचएस लाभार्थियों के फर्जी दावे के संबंध में मेसर्स रजनी अस्पताल, कानपुर को उनके चिकित्सा उपचार के बिल के रूप में 79,42,932/- रुपये का भुगतान किया गया था।

7. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि आवेदनकर्ता निर्दोष हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। आवेदनकर्ताओं के विधि की प्रक्रिया से भागने का कोई खतरा नहीं है।

8. आवेदनकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि आवेदनकर्ताओं को वर्ष 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने उत्तर दिया था; फिर भी, पर्याप्त विलंब के बाद वर्ष 2025 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।



9. प्रतिवादी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए एक प्रति शपथपत्र दाखिल किया है। इस प्रति शपथपत्र में अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तभी दर्ज की गई, जब आरोप सिद्ध हो गए और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश पर एक जांच की गई; जिसमें यह सिद्ध हो गया कि संबंधित अस्पतालों ने फर्जी दावे किए थे। फर्जी लाभार्थियों में से एक, सुश्री वैशाली का बयान जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि संबंधित अवधि के दौरान वह बी.एड. का कोर्स कर रही थीं और वह कभी भी संबंधित अस्पतालों में से किसी में भी भर्ती नहीं हुईं।

10. आरोपों के गुण-दोष में जाए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आरोपों की प्रकृति ऐसी नहीं है कि यह न्यायालय आवेदनकर्ताओं को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देकर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे।

11. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

12. यद्यपि, यदि कोई भी आवेदनकर्ता जमानत पर अपनी रिहाई के लिए आवेदन दाखिल करता है, तो उस पर अग्रिम जमानत आवेदन के खारिज होने से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार जल्दी से विचार किया जाएगा और निर्णय किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)



31 मार्च 2026

दर्पण शर्मा/-

Translated Version. Not for Legal Use.